क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

Ministry of Labour & Employment, Govt. of India

ब्लाक न0 34, एस0डी0ए0 कम्पलेक्स, कसुम्पटी, शिमला-1 [illegible] (हि0प्र0)

Block No. 34 I & II Floor SDA Complex Kasumpti Shimla-9 (H.P.)

STD Code : 0177
दूरभाष 2623.[illegible]
Telephone 2624620
[illegible] 2627[illegible]
Fax 2623[illegible]

क्रं.41(2007)आयकर/क्षे.का./हि.प्र./प्रशासन/ दिनांकः- 17/07/2014

क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला में चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी.ए.) फर्म के पैनल में शामिल होने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) **के संबंध में।**

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला, चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों (10सीए फर्म) से 03 साल के लिए विभिन्न कर मामलों एवं संबद्ध गतिविधियों, लेखा बहियों का अंतिम निपटान, विशेष ऑडिट, लेखा बहियों में की गई विशिष्ट प्रविष्टियों का मिलान अथवा कर अथवा लेखा अथवा बही लेखन (बुक कीपिंग) इत्यादि से संबंधित अन्य मामला, जब कभी आवश्यक हो, के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। योग्यता मापदंड एवं विज्ञापन उपर्युक्त अंकित पते के साथ-2 वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर उपलब्ध है।

इच्छुक फर्म अपने प्रस्ताव/अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) मोहरबंद लिफाफे में 'Confidential EOI for Empanelment of Chartered Accountant Firms' लिखकर क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला में उपर्युक्त अंकित पते पर दिनांक-22/08/2014 को दोपहर 12:00 बजे तक डाक द्वारा भेजें। अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त/सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के कक्ष में उसी दिन दोपहर बाद 03:00 बजे खोलें जाएंगे। इच्छुक फर्म अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) खुलने के समय में कार्यालय में दिनांक 22/08/14 को दोपहर 03:00 बजे उपस्थित हो सकते है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, शिमला, किसी कोटेशन या सभी कोटेशनों या उसके किसी भाग को अंशतः या पूर्णतः स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार बिना कारण बताए सुरक्षित रखते हैं।

(सूरज शर्मा)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II
क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला

क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला (हि.प्र.) के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी.ए.) फर्मों को पैनल में शामिल करने (Empanelment) हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति

1 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है। संगठन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 एवं इसके अंतर्गत रचित तीनों स्कीमों द्वारा सदस्यों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अंशधारको से संबंधित अन्य सूचना के लिए www.epfindia.gov.in वैबसाइट पर देख सकते है।

2 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला (हि.प्र.) ने प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि हेतु विभिन्न कर संबंधी मामलें एवं अन्य संबद्ध गतिविधियों, लेखा बहियों को अंतिम रुप देना, विशेष लेखा परीक्षा, लेखा बहियों में दर्शाई गई प्रविष्टियों के मिलान तथा कर या लेखा या बहीखाता लेखन से संबंधित अन्य मामला इत्यादि ,जैसे और जब अपेक्षित हो, के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी.ए.) फर्म का पैनल (05सीए फर्म) गठित करने का प्रस्ताव किया है।

3 **पात्रता:-**

1 आवेदक फर्म का अस्तित्व कम से कम 05 वर्ष का होना चाहिए।

2 आवेदक फर्म में कम से कम 3 पूर्णकालिक भागीदार होना चाहिए।

3 आवेदक फर्म को अनिवार्य रुप से सी एंड एजी पैनल मे होना चाहिए।

4 भागीदारी को आईसीएआई का सदस्य होना अनिवार्य है तथा उनके पास व्यवसाय में आईसीए आई द्वारा जारी वैद्यपूर्णकालिक प्रमाणपत्र होना चाहिए।

5 आवेदक फर्म को लेखों का लेखा परीक्षा करने में अनुभव/सरकारी संगठनों/सरकारी क्षेत्र उद्यमों के साथ टैक्स मामलों को संभालने का अनुभ्व होना चाहिए।

6 पिछले तीन वर्ष के लिए फर्म का औसत वार्षिक कुल बिक्री 10 लाख होना चाहिए।

7 पिछले पांच वर्ष के दौरान आवेदक फर्म अथवा भागीदारों को चार्टर्ड एकांउटेंट अधिनियम,1949 (यथा संशोधिर्त) के अंतर्गत किसी भी व्यवसायिक कदाचार का अपराधी नहीं पाया गया हो अथवा आईसीएआई द्वारा या अन्य स्वायत्त निकाय द्वारा किसी भी टैक्स कानूनो के अंतर्गत दंडनीय नहीं ठहराया गया हो।

8 आवेदक फर्म अथवा भागीदा किसी भी टैक्स कानूनों के उल्लंघन के कारण किसी भी टैक्स प्राधिकारी द्वारा कोई अन्वेषण अथवा जांच का सामना न कर रहे हो।

4 **चयन प्रक्रिया:-**

अ) पात्र फर्म को चयन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा अंतिम दिनांक तक प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाएगी। एक बार फर्म को पात्र फर्म के रुप में घोषित करने के पश्चात विभिन्न मानकों के आधार पर अर्जित किए गए अंकों के आधार पर सर्वोच्च 05 फर्मों का चयन किया जाएगा।

अंक प्रणाली

	पात्रता	बिंदु
1	फर्म का अनुभव	10 वर्ष के आगे के प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 0.5 अंक, **अधिकतम 15 अंक।**
2	पूर्णकालिक एफसीए भागीदार	प्रथम भागीदार के लिए 5 अंक एवं द्वितीय भागीदार एवं आगे के लिए 2.5 अंक।
3	पूर्णकालिक एफसीए भागीदा	प्रथम 3 भागीदारों के लिए 3 अंक तथा चौथे एवं आगे के भागीदार के लिए 1.5 अंक प्रति भागीदार।
4	पूर्णकालिक सीए कर्मचारी	प्रत्येक के लिए 1 अंक, **2,3 एवं 4 के लिए अधिकतम 20 अंक।**
5	कुल बिक्री	10 लाख के उपर प्रति लाख के लिए 1 अंक। **अधिकतम 65 अंक**

ब) आवश्यकता महसूस होने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पैनल में नए फर्मों को शामिल किया कर सकता है।

5 **कार्य की प्रकृति:-**

आयकर अधिनियम,1961 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि संगठन है। अत: इसकी आय करयोग्य नहीं है। यद्यपि कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधान एवं अन्य टैक्स कानून कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर लागू होते है। इसके अतिरिक्त, लेखा बहियों को अंतिम रुप देना, विशेष लेखा परीक्षा, सिस्टम लेखा परीक्षा, निष्पादन लेखा परींक्षा, लेखा बहियों में दिखनेवाली विशिष्ट प्रविष्टियों का मिलान तथा टैक्स या लेखा या बहीखाता लेखनसे संबंधित सौंपे गए किसी अन्य मामलें इत्यादि के लिए व्यावसायिक सेवाओं की आवश्यकता है। नामित फर्म को विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सौंपे गए मामलों को निपटाना होगा।

6 **कार्य का आबंटन:-**

किसी भी कार्य को आबंटन करने के लिए केंद्र सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों का पालन करते हुए सीमित टेंडरों को आमंत्रित किया जाएगा एवं किसी फर्म विशेष को कार्य आबंटित किया जाएगा।

7 **आवेदन फार्म:-**

इच्छुक पार्टी अनुलग्नक 'क' में संलग्नित आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित फार्मेट में वचन देने सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

मैं .... मैसर्स .... चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी.ए.) फर्म का प्रबंध भागीदार एतद्द्वारा वचन देते हुए घोषणा करता हूँ कि:-

1. उपरोक्त विवरणियां पूर्ण एवं सही हैं एवं यदि आवेदन फार्म में प्रस्तुत की गई सूचना बाद में गलत पाई गई तो या सूचना प्रदान करने में किसी जानकारी या तथ्य को छुपाए जाने की स्थिति में फर्म, चार्टर्ड अकाउटेंट अधिनियम,1949 एवं उसके अंतर्गत रचित विनियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पात्र होगी।
2 पिछले पांच वर्ष के दौरान आवेदक फर्म अथवा इसके भागीदारों को चार्टर्ड अकाउटेंट अधिनियम,1949 (यथा संशोधित) के अंतर्गत किसी भी व्यावसायिक कदाचार का अपराधी नहीं पाया गया है या आईसीएआई या अन्य सांविधिक निकाय द्वारा किसी भी टैक्स कानून के अंतर्गत दंडनीय नहीं ठहराया गया है।
3 आवेदक फर्म अथवा भागीदार द्वारा किसी टैक्स कानून के उललंघन के कारण किसी भी टैक्स प्राधिकारी द्वारा कोई अन्वेषण अथवा जांच का सामना नहीं किया जा रहा हो।
4 मैं और अन्य भागीदार चार्टर्ड अकाउटेंट के पूर्णकालिक व्यवसाय करते हैं।

फर्म का प्रबंध भागीदार के नाम तथा मोहर सहित हस्ताक्षर

8 लिफाफे पर गोपनीय ईओआई चार्टर्ड अकाउटेंट फर्म का पैनल हेतु लिखना होगा। मुहरबंद लिफाफे को निम्नलिखित पते पर जमा कराया जाएगा।

सहायक भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, ब्लॉक सं.-34, एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

9 आवेदन पहुंचने की अंतिम तिथि - 21/08/2014 अपराह्न 03:00 बजे

क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment, Govt. of India
ब्लाक नं0 34, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009 (हि0प्र0)
Block No. 34, I & II Floor, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-9 (H. P.)

STD Code : 0177
दूरभाष 2623023
Telephone 2624620
फैक्स 2627684
Fax 2623107

No..41(2007) INCOMETAX/RO/HP/Adm./ DATE: - 17/07/2014

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR EMPANELMENT OF CHARTERED ACCOUNTANT FIRM FOR REGIONAL OFFICE, SHIMLA (HP)

EPFO, Regional Office, Shimla (HP) invite Expression of Interest to form a panel of Chartered Accountant Firms (10CA Firms) for initial period of three years for handling various tax matters and allied activities, finalization of books of accounts, special audit, reconciliation of specific entries appearing in books of accounts or any other matter relating to tax matter or accounts or book keeping etc. as and when required. The eligibility criteria and advertisement is available in the office at the address mentioned above as well as on the website www.epfindia.gov.in.

The interested firms may forward their offer/EOI in sealed envelope superscripting **'Confidential E O.I for Empanelment of Chartered Accountant Firms'** to the Regional Office, Shimla at the above address so as to reach latest by ***12:00 noon on 22/08/2014*** by post. The EOI shall be Opened on the same day in the office chamber of Regional P.F. Commissioner/ Assistant P.F. Commissioner, Regional Office, Shimla at 03:00 PM. Willing firms or their authorized representative may attend the EOI opening at the office on ***22/08/2014 at 03:00*** PM.

The Regional P.F. Commissioner-I, Shimla reserves the rights to accept or reject any or all quotations in part or full without assigning any reason thereof.

(SURAJ SHARMA)
Regional P.F. Commissioner-II
Regional Office, Shimla (HP)

EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
FOR EMPANELMENT OF CHARTERED ACCOUNTANT FIRM
FOR REGIONAL OFFICE, SHIMLA (HP)

1 The Employees Provident Fund Organization, India (EPFO) is an autonomous body under the aegis of the Ministry of Labour and Employment, Government of India (MoLE). The main objective of the organization is to provide old-age social security to the subscribers as per the provisions of EPF & MP Act, 1952 and the three schemes framed there under. For further information about EPFO one may visit the website www.epfindia.gov.in.

2 Regional Office, Shimla, EPFO proposes to form a panel of Chartered Accountant Firms (10 CA firms) for the initial period of three years for handling various tax matters and allied activities, finalization of books of accounts, Special audit, reconciliation of specific entries appearing in books of accounts or any other matter relating to tax matter or accounts or books keeping etc. as and when required.

3 **Eligibility:-**

1. Applicant firms should be in existence for at least 10 years.
2. Applicant firms should have at least 5 full partners with at least 1 full time FCA.
3. The applicant firm should be in the panel of C&AG.
4. The Partners must be member of ICAI and should have valid full time certificate of practice issued by ICAI.
5. Applicant firm must have experience of auditing accounts/handling tax matters with Govt. Organizations/PSEs.
6. Average Annual Turnover of the Firm of the last three years should be at least Rs. 75 Lakhs.
7. Applicant firm or its partners should not have been held guilty of any professional misconduct under Chartered Accountants Act, 1949(as amended) during past five years or penalized under any of the Tax Laws by ICAI or any other statutory Body.
8. Applicant firm or its partners should not be facing any investigation or enquiry by any tax authority for violation of any of the tax laws.

4 **Selection Procedure:**

a) All applications received up to the last date shall be scrutinized by a Committee appointed by the competent authority to decide the eligible firms.

Once firm is declared as eligible then top 10 firms will be selected on the basis of points scored on different criteria. Point system will be as follows.

Points System

	Eligibility	Point
(i)	Experience of Firms	0.5 Point for every calendar year from 10 years onwards- **Maximum 15 points.**
(ii)	Full time FCA Partner	5 Points for first partner and 2.5 from 2nd partner onwards.
(iii)	Full time ACA partner	3 Points each for the first 3 partners and 1.5 points for 4th partner onwards.
(iv)	Full time CA employes	1 Point for every CA- **Maximum 20 Points.for ii,iii & iv .**
(v)	Turnover	1 Point for each lakh above 10 lakh, **Maximum 55 Points.**

b) EPFO, In case of necessity can add new firms in the panel.

5 **Nature of work:-**

Employees Provident Fund is a recognized provident fund under the provisions of Income Tax Act, 1961, therefore its income are non taxable. However, under certain circumstances various provisions of Income Tax Act and other tax laws become applicable to EPFO. Apart from this, professional services are required also for finalization of books of accounts, special audit, system audit, performance audit, reconciliation of specific entries appearing in books of accounts or any other matter relating to tax matter or accounts or book keeping etc. The nominated Firm would be required to handle the case assigned as per the terms of reference.

6 **Allotment of work:-**

To allot any work a limited tender will be invited from the empanelled firms and following the General Financial Rules of the Central Government. The work will be allotted to a particular firm.

7 **Application Form:-**

Interested parties may apply in the application format enclosed as Annexure A along with the undertaking in the format as below:-

I .... the managing partners of M/S...............................
.... Chartered Accountant do hereby verify, declare and undertake:-

a) That the particulars given above are complete and correct and that if any of the statements made or the information so furnished in the application form is later found not correct or false or there has been suppression of material information, the Firm would stand disqualified from empanelment/allotment of work and might be liable for disciplinary action under the Chartered Accountants Act, 1949 and the regulations framed there under.

b) Applicant firm or its partners should not have been held guilty of any professional misconduct under Chartered Accountants Act,1949 (as amended) during past five years or penalized under any of the tax laws by ICAI of any other statutory body.

c) Applicant Firm or its partners should not be facing any investigation or enquiry by any tax authority for violation of any of the tax laws.

d) That I and other partners are in full time practice of chartered accountants.

Name & Signature of the Managing partner of the Firm with Seal.

8 EOI should be super scribed as '**Confidential-EOI for Empanelment of Chartered Accountant Firms '.**

To be submitted in a sealed envelops and addressed to:-

Assistant Provident Fund Commissioner(Administration),Employees Provident Fund Organisation, Regional Office, Block No.34, SDA Complex, Kasumpti, Shimla (HP)-171009

9 Last date for submission of EOI is 21.08.2014, 12:00 PM